[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

संख्या 26/2022 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 26 दिसंबर, 2022

सा.का.नि.... (अ). - केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में, -

(i) उप-नियम (1) में, "मोबाइल नंबर, ई-मेल पता," शब्दों और अक्षरों, का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (2) में, खंड (क) में, "प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुरक्षित डाटा बेस से सामान्य पोर्टल द्वारा आनलाइन विधिमान्य बनाया जाएगा" शब्दों के पश्चात्, "और स्थायी खाता संख्या से जुडे मोबाइल नंबर और ई-मेल पते पर भेजे गए पृथक् वन-टाइम पासवर्ड के माध्यम से भी सत्यापित किया जाएगा" शब्दों को अंत: स्थापित किया जाएगा;

(iii) उप-नियम (2) में, खंड (ख) और (ग) का लोप किया जाएगा;

(iv) उप-नियम (4क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4क) धारा 25 की उप-धारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा उप-नियम (4) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन के बाद, जिसने आधार संख्या के प्रमाणीकरण का विकल्प चुना है और जो कि सामान्य पोर्टल पर, डेटा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, पहचाना जाता है, बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा और आवेदक की तस्वीर ली जाएगी, जहां आवेदक एक व्यक्ति है या जहां आवेदक एक व्यक्ति नहीं है, आवेदक के संबंध में ऐसे व्यक्तियों की जो धारा 25 की उप-धारा (6 ग) के अधीन अधिसूचित है, इस उप-नियम के उद्देश्य के लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्रों में से एक पर प्ररूप जीएसटी आरइजी-01 में आवेदन

के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन के साथ, और इस उप-नियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात् ही आवेदन को पूर्ण समझा जाएगा।";

(v) उप-नियम (4क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(4ख) केंद्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा उन राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनमें उप-नियम (4क) के उपबंध लागू नहीं होंगे।";

(vi) उप-नियम (5) में, "उप-नियम (4)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "या उप-नियम (4क)" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 9 में, -

(i) उप-नियम (1) के परंतुक में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(कक) ऐसा व्यक्ति, जो कि नियम 8 के उप-नियम (4क) में निर्दिष्ट आधार संख्या के अधिप्रमाणन प्रक्रिया से गुज़रा है, उसके कारबार के स्थानों का वास्तविक सत्यापन करने के लिए, आकडा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, सामान्य पोर्टल पर पहचाना जाता है; या";

(ii) उप-नियम (2) के, परंतुक में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(कक) ऐसा व्यक्ति, जो कि नियम 8 के उप-नियम (4क) में निर्दिष्ट आधार संख्या के अधिप्रमाणन प्रक्रिया से गुज़रा है, उसके कारबार के स्थानों का वास्तविक सत्यापन करने के लिए, आकडा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, सामान्य पोर्टल पर पहचाना जाता है; या"।

4. उक्त नियमों के, नियम 12 में, उप-नियम (3) में, "कोई व्यक्ति, जिसे प्ररूप जीएसटी आरईजी-06 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है" शब्दों के पश्चात्, "या एक व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में किए गए अनुरोध पर जिसे उप-नियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

5. 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी उक्त नियमों के नियम 37 में उप-नियम (1) में, -

(i) "ऐसी प्रदाय के मूल्य का" शब्दों के पश्चात्, "चाहे पूर्ण रूप से या भागत:" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "भुगतान करेगा "शब्दों के पश्चात्, "या उत्क्रम" शब्दों को अंत:स्थापित किए जाएगा;

(iii) "ऐसी प्रदाय के संबंध में" शब्दों के पश्चात्, "प्रदायकर्ता को भुगतान ना की गई रकम के अनुपात में" अक्षरों और शब्दों को अंत:स्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 37 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"37क. प्रदायकर्ता द्वारा कर के असंदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय की वापसी और उसकी पुन: उपलब्धता.- जहां एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया गया है, ऐसे बीजक या डेबिट नोट के संबंध में, जिसका विवरण प्रदायकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए जावक प्रदाय के विवरण में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् सितंबर के 30 वें दिन तक ऐसे प्रदायकर्ता द्वारा उक्त कर अवधि के जावक प्रदाय के विवरण के अनुरूप प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें ऐसे बीजक या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया गया है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर प्रत्यय की कथित राशि को, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् नवंबर के 30 वें दिन या उससे पहले प्ररूप जीएसटीआर-3ख में रिटर्न दाखिल करते समय, वापस किया जाएगा:

परन्तु जहां इनपुट कर प्रत्यय की उक्त राशि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी में 30 नवंबर को या उससे पहले ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् वापस नहीं की जाती है, जिसके दौरान इस तरह के इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया गया है, ऐसी राशि उक्त व्यक्ति द्वारा धारा 50 के अधीन उस पर ब्याज सहित देय होगी।

परन्तु यह और कि जहां उक्त प्रदायकर्ता पश्चात् में उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके बाद की कर अवधि के लिए प्रस्तुत प्ररूप जीएसटीआर-3ख विवरणी में इस तरह के प्रत्यय की राशि का पुनः लाभ उठा सकता है।" .

7. उक्त नियमों के नियम 46 के खंड (च) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु जहां कोई कर योग्य सेवा किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा या उसके माध्यम से या ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा एक प्राप्तकर्ता को आपूर्ति की जाती है, जो अरजिस्ट्रीकृत है, ऐसे प्रदाय के मूल्य के बावजूद, एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किये गये कर बीजक में प्राप्तिकर्ता का नाम और पता के साथ उसका पिन कोड और राज्य के नाम शामिल करना होगा और उक्त पते को प्राप्तकर्ता के रिकॉर्ड पर पता समझा जाएगा।”.

8. उक्त नियमों के, नियम 46क में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"परन्तु उक्त एकल "प्रदाय का बीजक-सह-बिल" में नियम 46 या नियम 54, जैसा भी मामला हो, और नियम 49 के अधीन निर्दिष्ट विशिष्टियां शामिल होगी।";

9. उक्त नियमों के नियम 59 के उपनियम (6) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे कर अवधि के संबंध में नियम 88ग के उप-नियम (1) के उपबंधों के अधीन सामान्य पोर्टल पर एक सूचना जारी की गई है, को धारा 37 के अधीन माल या सेवाओं या दोनों के जावक आपूर्ति के ब्यौरे, पश्चातवर्ती कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी

या, जब तक कि उसने या तो उक्त सूचना में निर्दिष्ट राशि जमा नहीं की हो या किसी असंदत्त राशि के कारणों को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रस्तुत न किया हो जो नियम 88ग के उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित है।"।

10. उक्त नियमों के नियम 87 के उपनियम (8) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु जहां बैंक सामान्य पोर्टल पर चालान पहचान संख्या के विवरण को संप्रेषित करने में विफल रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को उन मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के ई-स्क्रॉल के आधार पर अपडेट किया जा सकता है जहां उक्त ई-स्क्रॉल की कॉमन पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में उत्पन्न चालान के ब्यौरे के साथ अनुरुपता है ।

11. उक्त नियमों में, नियम 88ख के बाद, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"88 ग. जावक प्रदायों के ब्योरौ और विवरणी में रिपोर्ट किए गए दायित्व में अंतर के संबंध की रीति.–जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय कर, उक्त कर अवधि के संबंध में, प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए में, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए जावक प्रदाय के ब्योरौ के अनुसार, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उसके द्वारा प्रस्तुत की गई उस अवधि के लिए विवरणी के अनुसार उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय कर की रकम से अधिक है, ऐसी राशि या ऐसे प्रतिशत से, जो की परिषद् द्वारा अनुशंसित किया जाए, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जीएसटी डीआरसी-01ख के भाग क में इस तरह के अंतर के बारे में सूचित किया जाएगा और उक्त अंतर को उजागर करते हुए ऐसी सूचना की एक प्रति, रजिस्ट्रीकरण के समय प्रदान किए गए या समय-समय पर संशोधित किए गए, उसके ई-मेल पते पर भी भेजी जाएगी और उसे निदेशित किया जाएगा कि या तो -

(क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से, धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ, अंतर कर देयता का संदाय करें, या

(ख) सामान्य पोर्टल पर देय कर में पूर्वोक्त अंतर का स्पष्टीकरण करें,

सात दिनों की अवधि के भीतर।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस उप-नियम में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर, या तो -

(क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख के भाग क में निर्दिष्ट अंतर कर देयता की राशि का भुगतान पूरी तरह से या आंशिक रूप से, धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ, फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से करें और उसके विवरण को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-1ख के भाग ख में प्रस्तुत करें; या

(ख) सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख के भाग ख में असंदत्त कर देयता के उस हिस्से के संबंध में कारणों को शामिल करते हुए, जिसका भुगतान नहीं हुआ है, यदि कोई हो, एक उत्तर प्रस्तुत करें,

सात दिनों की अवधि के भीतर।

(3) जहां उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में निर्दिष्ट कोई भी राशि उस उप-नियम में निर्दिष्ट अवधि के भीतर असंदत्त रहती है और जहां कोई स्पष्टीकरण या कारण रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा डिफ़ॉल्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां स्पष्टीकरण या कारण ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, उक्त राशि धारा 79 के उपबंधों के अनुसार वसूली योग्य होगी।"।

12. उक्त नियमों के नियम 89 के उपनियम (2) में,-

(i) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किये जाएगें, अर्थात्: -

"(टक) एक विवरण जिसमें बीजक का विवरण शामिल है, अर्थात् संख्या, तारीख, मूल्य, भुगतान किया गया कर और भुगतान का विवरण, जिसके संबंध में धनवापसी का दावा किया जा रहा है, ऐसे बीजकों की प्रति, प्रदायकर्ता को इस तरह के भुगतान का प्रमाण, समझौते या रजिस्ट्रीकृत समझौते या अनुबंध की प्रति, जो भी लागू हो, सेवा की प्रदाय के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ दर्ज किया गया, प्रदायकर्ता द्वारा सेवा की आपूर्ति के लिए समझौते या अनुबंध को रद्द करने या समाप्त करने के लिए जारी किया गया पत्र, प्रदायकर्ता से प्राप्त भुगतान का विवरण, इस तरह के समझौते को रद्द करने या समाप्त करने के प्रमाण के साथ, एक मामले में जहां एक अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धनवापसी का दावा किया जाता है जहां सेवा की आपूर्ति के लिए अनुबंध या अनुबंध को रद्द या समाप्त कर दिया गया है;

(टख) आपूर्तिकर्ता द्वारा इस आशय के लिए जारी किया गया एक प्रमाण पत्र कि उसने बीजक के संबंध में कर का भुगतान किया है, जिस पर आवेदक द्वारा धनवापसी का दावा किया जा रहा है; कि उसने क्रेडिट नोट जारी करके इन बीजकों में शामिल कर राशि को अपनी कर देयता के विरुद्ध समायोजित नहीं किया है; और यह भी, कि उसने इन बीजकों के संबंध में शामिल कर की राशि की वापसी दावा नहीं किया है और ना हीं करेगा, ऐसे मामले में जहां एक अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धनवापसी का दावा किया जाता है जहां सेवा की आपूर्ति के लिए करार या संविदा रद्द कर दी गई है या समाप्त कर दी गई है;";

(ii) खंड (ड) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“परंतुक यह और कि उन मामलों में जहां ऐसे अरजिस्ट्रिकृत व्यक्ति द्वारा धनवापसी का दावा किया गया है जिसने कर भर वहाँ किया हो, प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है।“.

13. उक्त नियमों के नियम 108 के उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) जहां उस निर्णय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया है, वहां एक अंतिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुए, अपीलीय प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी और अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख माना जाएगा:

परंतु यह कि जहां उस निर्णय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है, वहां अपीलार्थी, प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 फाइल करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर उक्त निर्णय या आदेश की एक स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा और एक अंतिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुए, अपीलीय प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी, और अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख माना जाएगा :

परंतु जहां निर्णय या आदेश की उक्त स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 फाइल करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, ऐसी प्रति जमा करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख के रूप में माना जाएगा।".

14. उक्त नियमों के नियम 109 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
"109 अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन.- (1) धारा 107 की उप-धारा (2) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी को एक आवेदन प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 में सुसंगत दस्तावेजों के साथ, या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए, फाइल की जाएगी और अपीलार्थी को तुरंत एक अनंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी।

(2) जहां उस निर्णय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया है, वहां एक अंतिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुए, अपीलीय प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी और अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को उप-नियम (1) के अधीन अपील फाइल करने की तारीख के रूप में माना जाएगा:

परंतु यह कि जहां उस निर्णय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है ,को सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, वहां अपीलार्थी प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 फाइल करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर उक्त निर्णय या आदेश की एक स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा और एक अंतिम अभिस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुए, अपीलीय प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी, और अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख माना जाएगा:

परंतु यह और कि जहां निर्णय या आदेश की उक्त स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 फाइल करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, ऐसी प्रति जमा करने की तारीख को अपील फाइल करने की तारीख के रूप में माना जाएगा।"।

15. उक्त नियमों में, नियम 109ख के पश्चात , निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"109ग अपील वापस लेना - अपीलार्थी, धारा 107 की उप-धारा (11) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी करने से पूर्व या उक्त उप-धारा के अधीन आदेश जारी करने से पूर्व, जो भी पहले हो, प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 या प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 के संबंध में फाइल की गई किसी भी अपील को प्ररूप जीएसटी एपीएल-01/03W में एक आवेदन फाइल करके उक्त अपील को वापस ले सकेगा :

परंतु जहां प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में अंतिम अभिस्वीकृति जारी की गई है, वहां उक्त अपील की वापसी अपीलीय प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी और अपील को वापस लेने के लिए ऐसे आवेदन को फाइल करने के सात दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा:

परंतु यह और कि अपीलार्थी द्वारा ऐसी वापसी के अनुसरण में फाइल की गई कोई भी नई अपील धारा 107 की यथा स्थिति, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर फाइल की जाएगी।

16. उक्त नियमों के नियम 138 के, उपनियम (14) में उपाबंध में, सारणी के स्तम्भ (2) में, क्र.सं. 5, के सामने"(अध्याय 71)" कोष्ठक, शब्द और अंक के पश्चात, "नकली आभूषण (7117) के सिवाय" शब्द, कोष्ठक और अंक डाले जाएंगे।

17. उक्त नियमों के नियम 161 में, "आदेश" शब्द के स्थान पर, "सूचना या नोटिस" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

18. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में, -

(i) भाग क में, टिप्पण में, "आवेदन दाखिल करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता प्रदान करेंगे।", शब्दों के स्थान पर, "आवेदक के स्थायी खाता संख्या से सहबद्ध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर आयकर डेटाबेस से स्वतः भरे जाएंगे।" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन जमा करने के निर्देश में, पैरा 2 का लोप किया जाएगा।

19. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-17 में, "योग्यता के आधार पर" शब्दों के पश्चात, निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

" कृपया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज़ (दस्तावेज़ों) को देखें।";

20. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप को रखा जाएगा, अर्थात्: -

" प्ररूप जीएसटी आरईजी -19

[*नियम 22(3) देखें*]

संदर्भ संख्या   तारीख

सेवा में

नाम

पता

जीएसटीआईएन/यूआईएन

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)   तारीख

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश

यह तारीख ----- जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में है

☐ कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है;

और, इस कार्यालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है: या

☐ कारण बताओ नोटिस का उत्तर <एआरएन नंबर> तारीख _______ द्वारा प्रस्तुत किया गया है;

और, कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर की जांच करने पर और इस कार्यालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है: या

☐ कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित दिन पर, आप व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए;

और, इस कार्यालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है: या

☐ कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन आप/आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि ने व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया और लिखित या मौखिक प्रस्तुति दी;

और, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान और इस कार्यालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर किए गए आपके लिखित या मौखिक प्रस्तुतीकरण की जांच करने पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है: या

☐ कारण बताओ नोटिस का उत्तर <एआरएन नंबर> तारीख _______ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किन्तु, आप या आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित या विस्तारित तारीख पर व्यक्तिगत सुनवाई में सम्मिलित नहीं हुए;

और, कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर की जांच करने पर और इस कार्यालय के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है: या

☐ कारण बताओ नोटिस का उत्तर <एआरएन नंबर> तारीख _______ द्वारा प्रस्तुत किया गया है और आप/आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि ने व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान एक लिखित/मौखिक प्रस्तुति दी;

और, अधोहस्ताक्षरी ने कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर के साथ-साथ व्यक्तिगत सुनवाई के समय की गयी प्रस्तुतियों की जांच की है और उनकी राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने योग्य है:

i)

ii)

आपके रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की प्रभावी तारीख <<दिन/मास /वर्ष>> है।

2. कृपया मामला विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज देखें।

3. यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन विवरणी भरने वाले एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर प्ररूप जीएसटीआर-10 में अंतिम विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4. आपको अपनी सभी लंबित विवरणी भरनी होंगीं।

5. यह नोट किया जाए कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य देयों की देयता या रद्द करने की तारीख से पूर्व किसी भी अवधि के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी दायित्व का निर्वहन करने की बाध्यता प्रभावित नहीं होगी चाहे ऐसे कर और अन्य देय रद्द करने की तारीख से पूर्व या पश्चात अवधारित किए जाएं।

स्थान :

तारीख:

हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पद

अधिकारिता"।

21. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-1 में, -

(क) बॉक्स में, -

(i) "वर्ष" शब्द के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "मास" शब्द के स्थान पर "कर अवधि" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) सारणी 3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

"3.	(क)	एआरएन	<ऑटो>
	(ख)	एआरएन की तारीख	<ऑटो>

(ग) सारणी 4क में, “(i) पर्तिवर्ती प्रभार से संबंधी और (ii) ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम के” कोष्ठकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, “पर्तिवर्ती प्रभार से संबंधी (ई-वाणिज्य प्रचालन से संबंधी टीसीएस के माध्यम से की गई पूर्ति सहित)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(घ) सारणी 4ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ङ) सारणी 5क में, “5अ. सार्वजनिक प्रदाय (ई-वाणिज्य दर-वार के माध्यम से की गई प्रदाय से भिन्न)” अंक, अक्षर, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “सार्वजनिक प्रदाय (ई-वाणिज्य दर-वार के माध्यम से की गई प्रदाय सहित)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(च) सारणी 5ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(छ) सारणी 7 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :--

<table>
<tr><td rowspan="2">कर की दर</td><td rowspan="2">कुल कराधेय मूल्य</td><td colspan="4">रकम</td></tr>
<tr><td>एकीकृत कर</td><td>केंद्रीय कर</td><td>राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर</td><td>उपकर</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="6">7क. अंतरराज्यिक प्रदाय</td></tr>
<tr><td colspan="6">समेकित दर-वार सार्वजनिक प्रदाय (टी सी एस संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की गई पूर्ति सहित)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">7ख. अंतरराज्यिक प्रदाय, जहां बीजक मूल्य 2.5 लाख रुपए तक हो [दर-वार] समेकित दर-वार सार्वजनिक प्रदाय [टी सी एस संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से की गई पूर्ति सहित]</td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

(ज) सारणी 9 में,--

(i) “डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, प्रतिदाय वाऊचर” शब्दों के स्थान पर, “डेबिट और क्रेडिट नोट” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “दस्तावेज का संशोधित ब्यौरे या मूल डेबिट या क्रेडिट नोट या प्रतिदाय वाऊचर के ब्यौरे” शब्दों के स्थान पर, “दस्तावेज का संशोधित ब्यौरा या मूल डेबिट या क्रेडिट नोट नोट का ब्यौरा” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपशीर्षक के स्तंभ 2 और स्तंभ 3 में, “बीजक” शब्द का लोप किया जाएगा;

(iv) उपशीर्षक के स्तंभ 5 और स्तंभ 6 में, “बीजक” शब्द के स्थान पर, “दस्तावेज” शब्द रखे जाएंगे;

(झ) सारणी 9क में, “यदि बीजक/पोत परिवहन पत्र में दिए गए ब्यौरे गलत थे” शब्दों के स्थान पर, “बीजक/पोत परिवहन पत्र में दिए गए ब्यौरों का संशोधन” शब्द रखे जाएंगे ;

(ञ) सारणी 9ख में, “/प्रतिदाय वाऊचर” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ट) सारणी 9ग में, "डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट /प्रतिदाय वाऊचर [उनके संशोधन]" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट [संशोधित]" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ठ) सारणी 10 में, "माह" शब्द के स्थान पर, "माह/तिमाही" शब्द रखे जाएंगे ;

(ड) सारणी 10क(1) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ढ) सारणी 10ख(1) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ण) सारणी 11 के शीर्षक में, "पूर्वत्तर कर अवधि" शब्दों के पश्चात्, "(शुद्ध प्रतिदाय वाऊचर, यदि कोई हो)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ;

(त) सारणी 12 के उपशीर्षक के स्तंभ 3 में, "(वैकल्पिक, यदि एचएसएन प्रदान किया गया हो)" कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(थ) सारणी 13 के पश्चात् और सत्यापन से पूर्व, निम्नलिखित सारणियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"14. ई-वाणिज्य आपरेटरों के माध्यम से की गई पूर्तियों के ब्यौरे, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर, अधिनियम की धारा 52 या धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी है [रिपोर्ट करने के लिए आपूर्तिकर्ता]

प्रदाय की प्रकृति	ई-वाणिज्य आपरेटर का जी एस टी आई एन	पूर्तियों का कुल मूल्य	कर की रकम			
			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
(क) पूर्ति, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर धारा 52 के अधीन कर संग्रह करने का दायी है						
(ख) पूर्ति, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी है						

14क. ई-वाणिज्य आपरेटरों के माध्यम से की गई पूर्तियों के ब्यौरों का संशोधन, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर, अधिनियम की धारा 52 के अधीन कर संग्रह करने के दायी हैं या धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी हैं

प्रदाय की प्रकृति	मूल ब्यौरे	संशोधित ब्यौरे	पूर्तियों का कुल	कर की रकम

	माह/तिमाही	ई-वाणिज्य आपरेटर का जी एस टी आई एन	ई-वाणिज्य आपरेटर का जी एस टी आई एन	मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(अ) पूर्ति, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर धारा 52 के अधीन कर संग्रह करने का दायी है								
(आ) पूर्ति, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी है								

15. ई-वाणिज्य आपरेटरों के माध्यम से की गई पूर्तियों का ब्यौरा, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर, धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी हैं [ई-वाणिज्य आपरेटर की रिपोर्ट करने के लिए]

पूर्तिकर्ता का प्रकार	प्राप्तिकर्ता का प्रकार	पूर्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	प्राप्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	दस्तावेज सं0	दस्तावेज तारीख	दर	की गई पूर्ति का मूल्य	कर की रकम				पूर्ति का स्थान
								एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
रजिस्ट्रीकृत	रजिस्ट्रीकृत											
	अरजिस्ट्रीकृत											

अरजिस्ट्रीकृत	रजिस्ट्रीकृत											
	अरजिस्ट्रीकृत											

15क(I). ई-वाणिज्य आपरेटरों के माध्यम से की गई पूर्तियों के ब्यौरों का संशोधन, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी हैं [ई-वाणिज्य आपरेटर को रिपोर्ट करने के लिए, रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ताओं के लिए]

पूर्तिकर्ता का प्रकार	मूल ब्यौरे				संशोधित ब्यौरे				दर	की गई पूर्ति का मूल्य	कर की रकम				**पूर्ति का स्थान**
	पूर्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	प्राप्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	दस्तावेज सं0	दस्तावेज तारीख	पूर्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	प्राप्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	दस्तावेज सं0	दस्तावेज तारीख			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
रजिस्ट्रीकृत															
अरजिस्ट्रीकृत															

15क(II). ई-वाणिज्य आपरेटरों के माध्यम से की गई पूर्तियों के ब्यौरों का संशोधन, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर देने के लिए दायी हैं [ई-वाणिज्य आपरेटर को रिपोर्ट करने के लिए, रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ताओं के लिए]

पूर्तिकर्ता का प्रकार	मूल ब्यौरे		संशोधित ब्यौरे	दर	की गई पूर्ति का मूल्य	कर की रकम				पूर्ति का स्थान
	पूर्तिकर्ता का जी एस टी आई एन	कर अवधि	पूर्तिकर्ता का जी एस टी आई एन			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
रजिस्ट्रीकृत										
अरजिस्ट्रीकृत										";

(द) अनुदेशों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“क. सामान्य अनुदेश

1. प्रयुक्त शब्द :

क. जी एस टी आई एन : माल और सेवा कर पहचान संख्या
ख. यू आई एन : यूनीक पहचान संख्या
ग. यू क्यू सी : यूनीक परिमाण कोड
घ. एच एस एन : नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
ङ. पी ओ एस : प्रदाय का स्थान (अपने अपने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
च. टी सी एस : ई-वाणिज्य आपरेटर द्वारा स्रोत पर कर संग्रह
छ. एस ई जेड : विशेष आर्थिक जोन
ज. ई सी ओ : ई-वाणिज्य आपरेटर
झ. डी टी ए : घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ञ बी से बी : एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पूर्ति
ट. बी से सी : एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पूर्ति

2. तिमाही के पहले दो महीने (नों) के लिए जीएसटीआर-1 या आईएफएफ के माध्यम से बीजक ब्यौरों को फाइल करने वाले तिमाही करदाता, तिमाही के जीएसटीआर-1 को फाइल करते समय ऐसे ब्यौरों को नहीं दुहराएंगे ।

ख. सारणी विनिर्दिष्ट अनुदेश

क्रम सं.	**सारणी सं.**	**अनुदेश**
1	**2**	**3**
1.	4क	i. ई-वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से की गई आपूर्ति सहित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्ति, धारा 52 के अधीन टी सी एस से संबंधित, लेकिन रिवर्स चार्ज के आधार पर कर से संबंधित पूर्ति को छोड़कर, रिपोर्ट की जाएगी । ii. धारा 9(5) के अधीन पूर्ति, जिसके लिए ई-वाणिज्य आपरेटर कर देने के लिए दायी है, इस सारणी में रिपोर्ट नहीं की गई है । iii. प्रवेश पत्र के समावेशित होने पर एस ई जेड द्वारा की गई पूर्ति एस ई जेड इकाई/विकासकर्ता द्वारा रिपोर्ट नहीं की जाएगी ।
2.	4ख	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई पूर्ति, रिवर्स चार्ज के आधार पर संबंधित कर को रिपोर्ट किया जाएगा । धारा 9(5) के अधीन की गई पूर्ति, जिस पर ई-वाणिज्य आपरेटर कर देने के लिए दायी है, इस सारणी में रिपोर्ट नहीं किया जाएगा ।
3.	5	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो 2.50 लाख रुपए से अधिक की बीजक रखते हों,

		द्वारा की गई अंतरराज्यिक पूर्ति को रिपोर्ट किया जाएगा ।
4.	6क	आई जी एस टी के साथ या उसके बिना निर्यात को रिपोर्ट किया जाएगा । पोत पत्र के ब्यौरे, यदि लागू हों, बाद में सारणी 9 के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है, यदि ऐसा ब्यौरा, विवरण फाइल करते समय उपलब्ध नहीं है ।
5.	6ख	आई जी एस टी के साथ या उसके बिना, एस ई जेड इकाइयों या एस ई जेड विकासकर्ताओं को की गई पूर्ति रिपोर्ट की जाएगी ।
6.	6ग	मानित निर्यात पूर्ति की रिपोर्ट की जाएगी ।
7.	7	सारणी 5 में रिपोर्ट किए गए उन व्यक्तियों से अन्यथा अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई पूर्ति को रिपोर्ट किया जाएगा । मूल्य को जमा पक्ष और नामे नोट का योग होगा ।

क्र. सं.	सारणी सं	अनुदेश
8.	8	ऐसी आपूर्तियां जिनकी कोई कर देनदारी नहीं है (शून्य रेटेड, छूट प्राप्त और गैर-जीएसटी आपूर्तियां) सूचित की जाएंगी। धारा 9(5) के अधीन ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई आपूर्ति को आपूर्तिकर्ता की छूट प्राप्त आपूर्ति के अधीन सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9.	9क	सारणी 4क, 4ख, 5, 6क, 6ख और 6ग में बताए गए मूल्यों में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
10.	9ख	अवधि के दौरान जारी किए गए क्रेडिट और डेबिट नोटों की सूचना दी जाएगी।
11.	9ग	सारणी 9ख में रिपोर्ट किए गए क्रेडिट और डेबिट नोट्स में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
12.	10	सारणी 7 में रिपोर्ट की गई अरजिस्ट्रीकृत आपूर्ति में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
13.	11(I)क	प्राप्त अग्रिमों की सूचना दी जाएगी। मूल्य वापसी वाउचर, यदि कोई हो, का निवल होगा।
14.	11(I)ख	अवधि के दौरान समायोजित अग्रिमों की सूचना दी जाएगी।
15.	11(II)	प्राप्त या समायोजित अग्रिमों में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
16.	12	सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार एचएसएन विवरण की सूचना दी जाएगी।
17.	13	अवधि के दौरान जारी किए गए दस्तावेजों के विवरण की सूचना दी जाएगी।
18.	14 (क)	ई- वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्ररूप 4 से 10 तक किसी सारणी में रिपोर्ट की गई आपूर्ति का विवरण, जिस पर ईसीओ धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर (टीसीएस) एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है, आपूर्तिकर्ता द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा।
19.	14(ख)	ईसीओ के माध्यम से की गई आपूर्ति का विवरण, जिस पर ईसीओ धारा 9(5) के

		अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, आपूर्तिकर्ता द्वारा सूचित किया जाएगा। ऐसी आपूर्तियों पर कर का भुगतान ईसीओ द्वारा किया जाएगा न कि आपूर्तिकर्ता द्वारा।
20.	14क(अ)	पूर्व कर अवधि में सारणी 14(क) में रिपोर्ट की गई आपूर्ति में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
21.	14क(आ)	पूर्व कर अवधि में सारणी 14(ख) में रिपोर्ट की गई आपूर्ति में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
22.	15	(i) ईसीओ उसके माध्यम से की गई आपूर्ति के विवरण की रिपोर्ट करेगा, जिस पर वह धारा 9(5) के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
		(ii)आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का जीएसटीआआईएन, यदि रजिस्ट्रीकृत है, तो सूचित किया जाएगा।
		(iii)यदि प्राप्तकर्ता रजिस्ट्रीकृत है, तो ईसीओ द्वारा जारी दस्तावेजों के विवरण की सूचना दी जाएगी।
23.	15क(I)	रजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ताओं के संबंध में पूर्व की कर अवधि में सारणी 15 में रिपोर्ट किए गए विवरण में संशोधन की सूचना दी जाएगी।
24.	15क(II)	अरजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ताओं के संबंध में पूर्ववर्ती कर अवधियों में सारणी 15 में रिपोर्ट किए गए विवरण में संशोधन की सूचना दी जाएगी।"।

22. उक्त नियमों में, प्रपत्र जीएसटी आरएफडी-01 में उपाबंध 1 में विवरण-7 के पश्चात, निम्नलिखित विवरण सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"विवरण-8 [नियम 89(2)(टक)]

वापसी का प्रकार: अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए धनवापसी

क्र. सं	जी एस आपूर्तिकर्ता का टिन	दस्तावेज़/चालान विवरण				कर का भुगतान				आपूर्तिकर्ता को चालान मूल्य के भुगतान का विवरण		रद्दीकरण/समाप्ति के विरुद्ध प्राप्त भुगतान का विवरण		दावा की गई वापसी की राशि (आई + सी + एस + उपकर)
		दस्तावेज़ का प्रकार	सं	तारीख	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर (आई)	केंद्रीय कर (सी)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर (एस)	उपकर	तारीख	राशि	तारीख	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														”।

23. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में, शीर्षक में, "नियम 108(3)" शब्द, अंक और कोष्ठक के पश्चात, "और 109 (2)" शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

24. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप जीएसटी एपीएल-01/03 डब्ल्यू

[*नियम 109ग देखें*]

अपील आवेदन वापस लेने के लिए आवेदन

1. जीएसटीआईएन:
2. व्यवसाय का नाम (विधिक) (यदि धारा 107 की उप-धारा (1) के अधीन अपील फाईल की जाती है)
3. अपीलकर्ता का नाम और पदनाम (यदि धारा 107 की उप-धारा (2) के अधीन अपील फाईल की जाती है):
4. आदेश संख्या एवं तारीख :
5. अपील का एआरएन और तारीख :
6. निकासी के कारण:
   i. निर्णायक प्राधिकारी के आदेश की स्वीकृति।
   ii. समान विषय वस्तु पर उच्च अपीलीय प्राधिकारी/न्यायालय के आदेश की स्वीकृति
   iii. फाईल अपील में गलतियों/चूक के सुधार के पश्चात फिर से अपील फाईल करने की आवश्यकता है
   iv. अपील में सम्मिलित राशि बोर्ड/आयुक्त द्वारा अपील के लिए निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम है
   v. कोई अन्य कारण
7. घोषणा (धारा 107 की उप-धारा (1) के अधीन अपील फाईल होने की स्थिति में लागू):

मैं/हम <करदाता का नाम> इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूं/करते हैं कि यहां दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थानः

हस्ताक्षर

तारीख :

आवेदक/आवेदक
अधिकारी का नाम
पदनाम/स्थिति।"।

25. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख

[*नियम 88ग देखें*]

भाग-ए (प्रणाली जनित)

बाहरी आपूर्ति के विवरण में रिपोर्ट की गई देनदारी और बदले में रिपोर्ट की गई देनदारी में अंतर की सूचना

संदर्भ संख्या: **तारीख :**

जीएसटीआईएन:

विधिक नाम:

1. यह देखा गया है कि आपके द्वारा देय कर प्ररूप जीएसटीआर -1 में या चालान प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए, आपके द्वारा प्रस्तुत बाहरी आपूर्ति के विवरण के अनुसार आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए रिटर्न के अनुसार आपके द्वारा भुगतान किए गए कर की राशि की अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी <से> <से> तक रुपये की राशि से अधिक है। .... का विवरण इस प्रकार है

प्रपत्र का प्रकार	**देयता घोषित/भुगतान (रुपये में)**				
	आईजीएसटी	**सीजीएसटी**	**एसजीएसटी/यूटीजीएसटी**	**उपकर**	**कुल**
प्ररूप जीएसटीआर-1/					
प्ररूप जीएसटीआर-3**बी**					
दायित्व में अंतर					

2. नियम 88गके उप-नियम (1) के अनुसार, आपसे अनुरोध किया जाता है कि या तो धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ उक्त अंतर कर देयता का भुगतान प्ररूप जीएसटी डीआरसी -03 के माध्यम से करें और/या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख भाग-ख में उसका विवरण प्रस्तुत करें। का, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01बी के भाग-बी में उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें अंतर कर देयता के उस हिस्से के संबंध में कारणों को सम्मिलित किया गया है, जो सात दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया है।

3. यह ध्यान दिया जाए कि जहां कोई राशि सात दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं की जाती है और जहां आपके द्वारा कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां आपके

द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण या कारण उचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, उक्त राशि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 79 के उपबंधों के अनुसार वसूली योग्य होगी।

4. यह एक प्रणाली जनित सूचना है और इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

भाग-ख

देयता में अंतर की सूचना के संबंध में करदाता द्वारा उत्तर

सूचना की संदर्भ संख्या: तारीख :

क. मैंने **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख** के **भाग क** में निर्दिष्ट अंतर कर देयता की राशि का भुगतान पूरी तरह या आंशिक रूप से, धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** के माध्यम से किया है, और उसके विवरण नीचे दिए गए हैं :

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - **03** का एआरएन	शीर्ष के अधीन भुगतान	कर अवधि	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	उपकर

और/या

ख. अंतर कर देयता के उस हिस्से के संबंध में कारण जो भुगतान नहीं किया गया है, निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	**अंतर के लिए संक्षिप्त कारण**	**विवरण (आज्ञापक)**
1	**प्ररूप जीएसटीआर -3 ख** में पूर्व कर अवधि में भुगतान की गई अतिरिक्त देयता	
2	पूर्व कर अवधि के कुछ लेनदेन जिन्हें उक्त कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर -1/आईएफएफ में घोषित नहीं किया जा सकता था, लेकिन जिनके संबंध में कर का भुगतान पहले ही उक्त कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर -3 ख में किया जा चुका है और जिन्हें अब विचाराधीन कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ में घोषित किया गया है।	
3	**प्ररूप जीएसटीआर -1 / आईएफएफ** गलत विवरण के साथ फाईल किया गया है और अगली कर अवधि में संशोधित किया जाएगा (टाइपिंग त्रुटियों, गलत कर दरों आदि सहित)	

4	प्राप्त अग्रिमों की रिपोर्टिंग में त्रुटि और चालान के विरुध समायोजित	
5	कोई अन्य कारण	

सत्यापन

मैं ____ सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूं कि यहां ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम/प्रास्थिति:

स्थान :

तारीख:"।

26. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03

[*नियम 142(2) और 142(3) देखें*]

स्वेच्छा से किए गए भुगतान की सूचना या कारण बताओ नोटिस (एससीएन) या विवरण [या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से निर्धारित कर की सूचना

1.	जीएसटीआईएन	
2.	नाम	< ऑटो>
3.	भुगतान का कारण	<< ड्रॉप डाउन >>
3क	गलत आईजीएसटी प्रतिदाय के लदान बिल के ब्यौरे (केवल विनिर्दिष्ट प्रवर्ग नीचे करें मेन्यू में चुने जाने के लिए सक्षम है) ।	(i) लदान बिल/निर्यात बिल की सं. और तारीख: (ii) माल के निर्यात पर संदत्त आईजीएसटी की रकम : (iii) रियायती दर या छूट पर निवेश की उपाप्ति के लिए उपयोग की गई

		अधिसूचना सं. : (iv) अधिसूचना की तारीख : (v) प्राप्त किए गए प्रतिदाय की रकम : (vi) निक्षेपित किए जाने वाले गलत प्रतिदाय की रकम : (vii) बैंक खाते में प्रतिदाय के प्रत्यय की तारीख :	
4.	वह धारा जिसके अधीन स्वैच्छिक संदाय किया गया है ।	<< ड्रॉप डाउन >>	
5.	कारण बताओ सूचना के ब्यौरे, यदि संदाय प्ररुप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से अभिनिश्चित कर के निर्गम,सूचना,संपरीक्षा, निरीक्षण, अन्वेषण, जीएसटी आरएफडी-01 के 30 दिन के भीतर किया जाता है, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	संदर्भ सं./एआरएन	जारी करने/फाईल करने की तारीख
6.	वित्तीय वर्ष		
7.	ब्याज और शास्ति सहित किए गए संदाय के ब्यौरे, यदि लागू हो (रुपये में रकम)		

क्र. सं.	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (पीओएस)	कर/ उपकर	ब्याज	शास्ति, यदि प्रयोज्य	फीस	अन्य	योग	उपयोग किए गए खाते (नकद/ प्रत्यय	विकलन प्रविष्टि सं.	विकलन प्रविष्टि की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

8. कारण,यदि कोई हो - << टेक्स्ट बॉक्स >>

9. सत्यापन -

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/प्रास्थिति

तारीख ....

टिप्पण -

1. नियम 96 के उपनियम (10) के उल्लंघन में प्राप्त एकीकृत माल और सेवा कर के गलत प्रतिदाय के निक्षेप के लिए और अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत प्रतिदाय के निक्षेप के लिए, संदाय केवल नगद में ही किया जाना है ।
2. प्ररुप जीएसटी आरएफडी-01 के एआरएन को अनिवार्य रुप से उल्लिखित किया जाना चाहिए यदि संदाय का कारण चयनित किया गया है - "अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत प्रतिदाय का निक्षेप" ।
3. लदान बिल के ब्यौरे उसी पैटर्न में प्रविष्ट किए जाने चाहिए जिसमें प्रतिदाय के ब्यौरे प्रविष्ट किए गए है । " ।

27. उक्त नियमों के प्ररुप जीएसटी डी आर सी-25 में,-

(i) "पुनरीक्षण अधिकारी" शब्दों के पश्चात् "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी" शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "अपील या पुनरीक्षण के निपटान के पहले" शब्दों के स्थान पर "अपील या पुनरीक्षण या किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के निपटान के पहले" शब्द रखें जाएंगे;

(iii) "अपील पुनरीक्षण" शब्दों के पश्चात् "या किन्हीं अन्य कार्यवाहियों को" शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

[फा.सं. सीबीआईसी-20001/2/2022-जीएसटी]

(आलोक कुमार)
निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), में अधिसूचना सं.3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 को प्रकाशित, संख्यांक सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं 24/2022-केन्द्रीय कर, तारीख 23 नवंबर, 2022, संख्यांक सा.का.नि. 843(अ), तारीख 23 नवंबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।